ok

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–एफ.4(ई)/(226/92) लिंक न.3270/अलेसे –III/ 329 दिनांक :– 27/06/2017

आदेश संख्याः 47 /2017–18

श्री नेहरू लाल, (लिंक नं0 3270) निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार को भष्टाचार निरोधक ब्यारो मे अपराध दर्ज होने के कारण निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग के अदेश क्रमांक 8132 दिनांक 25.07.2013 के द्वारा निलंबित किया गया, श्री नेहरू लाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल में रिट याचिका संख्या 13936/2016 दायर की जा कर निलंबन से बहाली हेतु प्रार्थना की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने आदेश दिनांक 06.10.2016 के द्वारा निर्णय प्रदान किय की याचिका करता निदेशालय को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे ।

अभ्यावेदन के आधार पर श्री नेहरू लाल निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार के संबंध में कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र कमांक प.2(157)कार्मिक/क–3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) की आज्ञा कमांक प.6(23)प्रसु/अनु–3/99 दिनांक 12.01.2011 के कम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2017 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(3)वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 07.06.2017 के द्वारा निलम्बन से बहाली का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप श्री नेहरू लाल, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाकर पदस्थापन कार्यालय निदेशक, पुरातत्व एंव संग्रहाणालय विभाग, जयपुर में किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :–एफ.4(ई)/(226/92)लिंक न.3270/अलेसे –III/ 329 दिनांक :–27/06/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर को पत्र क्रमांक प.2(3) वित्त/राजस्व /2014 दिनांक 07.06.2017 के क्रम में।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय निरोधक ब्यूरो जयपुर।
3. अति. पुलिस अधिक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।
4. निदेशक, पुरातत्व एंव संग्रहाणालय विभाग, जयपुर ।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति श्री माधोपुर (सीकर) ।
6. कोषाधिकारी, सीकर।
7. कोषाधिकारी, उदयपुरवाटी
8. अतिरिक्त निजी सहायक निदेशक महोदया।
9. श्री नेहरू लाल क.ले. मुख्यालय उपकोष, उदयुपरवाटी।
10. संयुक्त निदेशक(जॉच)
11. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)